पत्र संख्या— 1/प्रा0आ0—0—3—12/2017......63....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा/सारण/बाँका/सीतामढ़ी/लखीसराय/मधेपुरा/वैशाली/किशनगंज/कैमूर/दरभंगा/गया/अररिया/सहरसा/नालंदा/पूर्वी चम्पारण।

पटना—15, दिनांक— 11/8/17

विषयः— वर्त्तमान वित्तीय वर्ष—2017—18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष—2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष —02—बाढ़ —चक्रवात आदि, लघु शीर्ष —101— आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष —0016— राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड—39—2245021010016 मद में कुल ₹297.931 लाख (दो करोड़ सनतानवे लाख तिरानवे हजार एक सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष —2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष —02—बाढ़ —चक्रवात आदि, लघु शीर्ष —101— आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष —0016— राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष —101— आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष —0016— राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या — 39 विस्तृत शीर्ष— 37—अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष— 01—अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नवादा	2	0	0	68.00 (अड़सठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	76.00 (छिहत्तर लाख)	पानी में डूबने से
2	सारण	2	0	0	64.00 (चौसठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	सामुहिक सड़क दुर्घटना
3	बाँका	4	0	0	56.00 (छप्पन लाख)	16.00 (सोलह लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	वज्रपात
4	सीतामढ़ी	6	20	0	60.127 (साठ लाख बारह हजार सात सौ)	24.86 (चौबीस लाख छियासी हजार)	84.987 (चौरासी लाख अनठानवे हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
5	लखीसराय	3	0	0	32.00 (बत्तीस लाख)	12.00 (बारह लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात

6	मधेपुरा	18	1	2	84.043 (चौरासी लाख चार हजार तीन सौ)	72.643 (बहत्तर लाख चौसठ हजार तीन सौ)	156.686 (एक करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार छः सौ)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
7	वैशाली	2	0	0	112.46 (एक करोड़ बारह लाख छियालीस हजार)	8.00 (आठ लाख)	120.46 (एक करोड़ बीस लाख छियालीस हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	किशनगंज	2	0	0	24.00 (चौबीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात
9	कैमूर	1	0	0	88.00 (अठासी लाख)	4.00 (चार लाख)	92.00 (बानवे लाख)	पानी में डूबने से
10	दरभंगा	18	0	0	56.00 (छप्पन लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	128.00 (एक करोड़ अठाईस लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	गया	2	0	0	100.342 (एक करोड़ चौतीस हजार दो सौ)	8.00 (आठ लाख)	108.342 (एक करोड़ आठ लाख चौतीस हजार दो सौ)	पानी में डूबने से
12	अररिया	1	3	0	120.86 (एक करोड़ बीस लाख छियासी हजार)	4.213 (चार लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	125.073 (एक करोड़ पचीस लाख सात हजार तीन सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
13	सहरसा	5	3	0	257.118 (दो करोड़ सनतावन लाख ग्यारह हजार आठ सौ)	20.129 (बीस लाख बारह हजार नौ सौ)	277.247 (दो करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
14	नालंदा	6	2	0	124.213 (एक करोड़ चौबीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ)	24.086 (चौबीस लाख आठ हजार छः सौ)	148.299 (एक करोड़ अड़तालीस लाख उनतीस हजार नौ सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
15	पूर्वी चम्पारण	2	0	0	136.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
कुल योग		**74**	**29**	**2**	**1383.163** (तेरह करोड़ तिरासी लाख सोलह हजार तीन सौ)	**297.931** (दो करोड़ सनतानवे लाख तिरानवे हजार एक सौ)	**1681.094** (सोलह करोड़ इक्यासी लाख नौ हजार चार सौ)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 254 दिनांक 10.07.17 एवं 274 दिनांक 27.07.17/सारण के पत्रांक 716 दिनांक 25.07.17 /बाँका के पत्रांक 199 दिनांक 24.07.17 एवं 206 दिनांक 31.07.17/सीतामढ़ी के पत्रांक 435 दिनांक 28.07.17 /लखीसराय के पत्रांक 147 दिनांक 27.07.17 एवं 150 दिनांक 27.07.17 /मधेपुरा के पत्रांक 452 दिनांक 28.07.17, 481 दिनांक 08.08.17, 468 दिनांक 04.08.17, 469 दिनांक 04.08.17 एवं 470 दिनांक 04.08.17/वैशाली के पत्रांक 666 दिनांक 29.07.17 /किशनगंज के पत्रांक 587 दिनांक 31.07.17 /कैमूर के पत्रांक 364 दिनांक 31.07.17 /दरभंगा के पत्रांक 27 दिनांक 08.08.17/गया के पत्रांक 128 दिनांक 03.08.17/अररिया के पत्रांक 634 दिनांक 04.08.17/ सहरसा के पत्रांक 253 2 दिनांक 28.07.17, 252 2 दिनांक 28.07.17, 269 2 दिनांक 03.08.17, 266 2 दिनांक 03.08.17 एवं 268 2 दिनांक 03.08.17/नालंदा के पत्रांक 789 दिनांक 07.08.17/पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 80 दिनांक 29.05.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों, मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक-63/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/8/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 63/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 11/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक-63/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 63/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 11/8/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक-63/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव